

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि,

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.

(A Govt of Uttarakhand Undertaking)



ऊर्जा भवन, कांवली मार्ग, देहरादून- 248 001 दूरभाष 91-135-2768895 फैक्स नं० 91-135- 2768867

पत्रांक: 2968 / प्र.नि./उपाकालि / I-20 दिनांक : 01.05.2009

विषय:- मुख्यालय से निर्गत निर्देशों की अनुपालन आख्या ।

महाप्रबन्धक (वितरण),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र,
देहरादून/ हल्द्वानी ।

कृपया मुख्यालय से समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित, विशेषकर सितम्बर 2007 के पश्चात निर्गत, निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें । इन निर्देशों के अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी/अधिसासी अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक(वितरण) स्तर पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति मुख्यालय के संज्ञान में नहीं आ पा रही है तथा यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि इन आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कठोरतापूर्वक अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं ।

आपको अवगत कराना है कि मुख्यालय से निर्गत प्रत्येक आदेश/निर्देश का क्षेत्रीय स्तर पर कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त निम्नांकित कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु अनुपालन/अनुश्रवण प्रपत्र विकसित किये गये हैं जिन पर सम्बन्धित अधिकारी को वांछित सूचना अंकित कर प्रत्येक माह की 12वीं तारीख तक मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाना है :-

- 1- निर्देश सं० : 5 : (पत्र सं० 1016/सी०जी०एम०/ उपाकालि/ आई-7 दिनांक 20.09.07) के सापेक्ष अधिकारियों की अनुपालन/अनुश्रवण आख्या प्रपत्र
- 2- निर्देश सं० : 7: (पत्र सं० 184/निदेशक(परिचालन)/ उपाकालि/ आई-7 दिनांक 23.01.08) पर अवर अभियन्ता/ उपखण्ड अधिकारी की अनुपाल आख्या प्रपत्र
- 3- पत्र सं० 1546/निदेशक(परिचालन)/उपाकालि/सी-12 दिनांक 13.06.08 द्वारा एच० टी० संयोजन के आवेदनों पर विद्युत भार स्वीकृत करने सम्बन्धी निर्देशों के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रपत्र :
- 4- निर्देश सं०: 3/2008-09 : (पत्र सं० 2177/प्र०नि०/ उपाकालि/ आई-20 दिनांक 26.03.09) : कार्यों के सापेक्ष प्राक्कलनों की जांच के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रपत्र
- 5- निर्देश सं०: 5/2008-09 (पत्र सं० 2300/प्र०नि०/ उपाकालि/ आई-20 दिनांक 01.04.09) उपभोक्ताओं के संयोजनों की मासिक जांच/अध्ययन के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रपत्र ।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के सापेक्ष संलग्न प्रपत्रों पर अनुपालन/अनुश्रवण आख्या प्रत्येक माह की 12 वीं तिथि तक इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना माना जायेगा एवं तदनुसार दोषी अधिकारी/अधिकारिक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्न:- यथाउपरोक्त ।

(जगमोहन लाल)
प्रबन्ध निदेशक

पू०सं० 2968 / प्र.नि./उपाकालि: तददिनांक :

प्रतिलिपि, संलग्न प्रपत्रों की प्रति सहित, निम्नांकित को उक्त आदेशों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उनके अधीनस्थ प्रत्येक पात्र अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें, मोबाईल फोन आबंटित है, को उक्त आदेशों से अवगत कराने हेतु प्रेषित है :-

- 1- समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ०पा०का०लि० ।
- 2- समस्त अधिसासी अभियन्ता, उ०पा०का०लि० ।

संलग्न:- यथाउपरोक्त ।

(जगमोहन लाल)
प्रबन्ध निदेशक

(2)

पृ०सं०: 2968 / प्र.नि. / उपाकालि: तददिनांक :

प्रतिलिपि निदेशक(परिचालन)/निदेशक(पारियोजना)/निदेशक (वित्त),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1/11/14
2.5.14
जगमोहन लाल
प्रबन्ध निदेशक

निर्देश सं० 5 (पत्र सं० 1016 / सी०जी०एम० / उपाकालि / आई-7 दिनांक 20.09.07) के सापेक्ष अधिकारियों की अनुपालन/अनुश्रवण आख्या प्रपत्र

माह..... /

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	निरीक्षण किये गये 33/11 के०वी० उपस्थानों का नाम	निरीक्षण आख्या में उल्लिखित गंभीर अनियमितार्यें / कमियां/त्रुटियों का संक्षिप्त विवरण ।	क्या मुख्यालय निर्देश सं० 7 के अनुपालन में वांछित अभिलेख/विवरण/सूचनायें/पंजिकायें निरीक्षित उपस्थान पर उपलब्ध हैं तथा उन पर निर्देशानुसार प्रवृष्टियां समय पर अंकित की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी ।
1.	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

नोट :- निरीक्षण आख्या संलग्न की जाय ।

निर्देश सं० : 7 (पत्र सं० 184/निदेशक(परिचालन)/उपाकालि/आई-7 दिनांक 23.01.08) पर अवर अभियन्ता/उपखंड अधिकारी की अनुपालन आख्या प्रपत्र

माह.....

क्र०सं०	अवर अभियन्ता/ उपखण्ड अधिकारी का नाम	पोषक का नाम एवं विभव	उपस्थान का नाम जहां से पोषक निकलता है ।	Patrol की गयी लाइन की लम्बाई	पाई गई मुख्य कमियां	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	4	5		6	

पत्र सं० 1546/निदेशक(परिचालन)/उपाकालि/सी-12 दिनांक 13.06.08 द्वारा एच० टी० संयोजन के आवेदनों पर विद्युत भार स्वीकृत करने सम्बन्धी निर्देशों के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रपत्र :

माह.....

क्र०सं०	वितरण खण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	वितरण खण्ड द्वारा निर्धारित अवधि में निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	वितरण मंडल द्वारा निर्धारित अवधि में निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	महाप्रबन्धक(वितरण) द्वारा निर्धारित अवधि में निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

निर्देश सं० 3/2008-09 : (पत्र सं० 2177/प्र०नि०/उपाकालि/आई-20 दिनांक 26.03.09) : कार्यों के सापेक्ष प्राक्कलनों की जांच के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रपत्र

माह.....

क्र० सं०	जंचकर्ता अधिकारी का नाम	जांचे गये प्राक्कलनों की संख्या	पाई गई अनियमिताओं का विवरण	कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5

निर्देश सं० : 5/2009-10 (पत्र सं० 2300/प्र०नि०/उपाकालि/आई-20 दिनांक 01.04.09) उपभोक्ताओं के संयोजनों की मासिक जांच/अध्ययन के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रपत्र ।

माह.....।

क्र०सं०	जांचकर्ता अधिकारी/ अधिकारिक का नाम	जंचें /अध्ययन किये गये संयोजनों की संख्या	अनियमित पाये गये संयोजनों की संख्या	गम्भीर प्रकृति के अनियमित संयोजनों का विवरण	गम्भीर अनियमितता का विवरण (संक्षेप में)	अनियमितता के लिये दोषी अधिकारिक/अधिकारी का नाम ।
1	2	3	4	5	6	7